RAJASTHAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Rajasthan Undertaking)

RTDC/CRO/TENDER/2023-24/477 **Date: 07-07-2023**

नोटिस – सीमित निविदा

मुख्यालय के आदेश क्रमांक पीजीए/2023–24/87 दिनांक 12.04.202 के क्रम मे वित्तिय वर्ष 2023–24 की अवधि के लिए अकुशल मेन पावर सप्लाई हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इस हेतु रजिस्टर्ड ऐजेन्सी के द्वारा सीमित निविदा मांग की जाती है तथा उक्त के सम्बन्ध मे जॉब बेसिस पर आर.टी.टी.पी. एक्ट/दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के द्वारा स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी कार्मिक स्तरीय कार्य (अकुशल कार्मिक) के लिए न्यूनतम मजदूरी दर एवं ई.पी.एफ., ई.एस.आई. सहित अपना आवेदन साधारण प्रार्थना पत्र पर या अपने अधिकृत पत्र पर अपने सर्विस चार्जेज सहित QUOTATION दिया जाना है। दिनांक 20.07.2023 को दोपहर 2 बजे तक केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय, आर.टी.डी.सी., बीकानेर हाउस, पंडारा रोड,नई दिल्ली मे प्रस्तुत करे। उक्त हेतु निविदा प्रपत्र दिनांक 10.07.2023 से दिनांक 13.07.2023 तक कार्यालय समय मे निर्धारित शुल्क राशि रुपये 100/– जमा करा कराकर प्राप्त किये जा सकते है। तथा भरे हुए आवेदन निविदा प्रपत्र दिनांक 20.07.2023 तक दोपहर 2 बजे तक प्राप्त कर सायः 4 बजे खोले जाने है।

NIB Code - TDC2324A0033

General Manager
Central Reservation Office
R.T.D.C. Ltd.
New Delhi

RTDC/CRO/TENDER/2023-24/477 **Date: 07-07-2023**

प्रतिलिपि–

1. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय, आर.टी.डी.सी. लि., जयपुर।
2. श्रीमान कार्यकारी निदेशक महोदय, आर.टी.डी.सी. लि., जयपुर।
3. श्रीमान कार्यकारी निदेशक महोदय (वित्त), आर.टी.डी.सी. लि., जयपुर।
4. संपादक...।

General Manager
Central Reservation Office
R.T.D.C. Ltd.
New Delhi

Central Reservation Office, Ground Floor, Bikaner House, Pandara Road, New Delhi-110 011
Phone : 23383837, 23386069, 23381884 Fax : 23382823
E-mail : powrtdc@yahoo.com, delhi.rtdc@rajasthan.gov.in • Website : www.rtdc.in

RAJASTHAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Rajasthan Undertaking)

RTDC/CRO/TENDER/2023-24/478 **Date: 07-07-2023**

निविदा सूचना

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. की दिल्ली सी.आर.ओ. इकाई पर वित्तिय वर्ष 2023--24 की अवधि के लिये अकुशल मेन पावर सप्लाई हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिल्ली सी.आर.ओ. कार्यालय समय मे निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा सूचना के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी दिल्ली सी.आर.ओ. कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्रम सं.	इकाई का नाम	निविदा राशि (लाखो मे)	अमानत राशि	निविदा शुल्क	निविदा विक्रय दिनांक व समय	निविदा प्राप्ति की तिथि	निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1	दिल्ली सी.आर.ओ.	1.89	3800	100	दिनांक 10.07.2023 से दिनांक 13.07.2023 को दोपहर 2 बजे	दिनांक 20.07.2023 दोपहर 2 बजे तक	दिनांक 20.07.2023 को सांय 4 बजे तक

धरोवर राशि बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट आर.टी.डी.सी. दिल्ली सी.आर.ओ. के नाम से जमा करानी होगी। धरोवर राशि के बिना निविदा प्रपत्र स्वीकार नही किये जायेंगे। किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रुप से निरस्त करने का पूर्ण अधिकार इकाई द्वारा गठित कमेटी मे निहित होगा।

General Manager
Central Reservation Office
R.T.D.C. Ltd.
New Delhi

RTDC/CRO/TENDER/2023-24/478 **Date: 07-07-2023**

प्रतिलिपि–

5. श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय, आर.टी.डी.सी. लि., जयपुर।
6. श्रीमान कार्यकारी निदेशक महोदय, आर.टी.डी.सी. लि., जयपुर।
7. श्रीमान कार्यकारी निदेशक महोदय (वित्त), आर.टी.डी.सी. लि., जयपुर।
8. संपादक..।

General Manager
Central Reservation Office
R.T.D.C. Ltd.
New Delhi

Central Reservation Office, Ground Floor, Bikaner House, Pandara Road, New Delhi-110 011
Phone : 23383837, 23386069, 23381884 Fax : 23382823
E-mail : powrtdc@yahoo.com, delhi.rtdc@rajasthan.gov.in • Website : www.rtdc.in

1. प्रस्तावित दरे अनुबंध की दिनांक से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। जिसे आवश्यकतानुसार आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
2. गैर सरकारी संस्था/एजेन्सी का नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा भरते समय एजेन्सी रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी
3. गैर सरकारी संस्था/एजेन्सी के द्वारा ठेका श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 एवं अन्य अधिनियमों की पालना की जावेगी।
4. कार्यादेश के पश्चात एजेन्सी/संस्था द्वारा कार्मिकों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाए गए कार्मिकों की पहचान एवं पता से संबंधित जानकारी की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी एवं इसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करवानी आवश्यक होगी।
5. एजेन्सी/संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक के कार्य व्यवहार/आचरण से यदि विभाग को कोई हानि या नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी/संस्था को करनी होगी। कोई भी कार्मिक शराब आदि किसी भी प्रकार के नशे का आदि नही होना चाहिए।
6. दिल्ली सी.आर.ओ. द्वारा एजेन्सी के कार्मिकों की योग्यता का परीक्षण किया जावेगा। यदि एजेन्सी योग्य कार्मिकों को लगाने में असमर्थ रहती है तो कार्यालय स्तर से जो वैकल्पिक व्यवस्था की जावेगी, उसका भुगतान संस्था/एजेन्सी को करना होगा।
7. आयकर एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिरोपित अन्य करों की कटौती इस कार्यालय द्वारा भुगतान करते समय ही कर ली जावेगी।
8. निविदादाता के बारे में यह समझा जावेगा कि उसके द्वारा निविदा की शर्ते भली भांति समझ ली है। यदि कोई संदेह हो तो प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर दूर कर लेवे।
9. निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके भाग को अन्य किसी एजेन्सी को नहीं सौंपेगा।
10. निविदा में दर्शाई गई दरों में किसी प्रकार की काट छांट न की जाये। यदि कोई त्रुटि हो तो स्पष्ट रूप से अंकित कर अपने लघु हस्ताक्षर करें।
11. निविदादाता निविदा की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर स्वीकृति के प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करे।
12. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में एक अनुबंध निष्पादित करना होगा कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत राशि धरोहर प्रतिभूति के रूप में दर स्वीकृति के 7 दिवस में सम्बन्धित इकाई में जमा करानी होगी। इस राशि पर इकाई द्वारा कोई ब्याज नही दिया जावेगा।
13. निविदा को स्वीकार करने में यह आवश्यक नही कि यह न्यूनतम हो। उपापन समिति के पास निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
14. निविदा की शर्तों का पालन न करने पर अनुबंध तुरन्त समाप्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया जायेगा उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं एजेन्सी/संस्था का होगा।

15. संविदा के संबंध में उत्पन्न हुए सभी विवादों ६ मतभेदों के निर्णय का अधिकार प्रबन्ध निदेशक राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन जयपुर के पास सुरक्षित होगा। जिनका निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा।
16. एजेन्सी/संस्था कार्मिकों को विभाग के अनुमोदन के बिना नही हटा सकेगी । इस हेतु एजेन्सी को एक माह पूर्व नोटिस देना होगा परन्तु एजेन्सी ६ संस्था के कार्मिक द्वारा कार्य नहीं करने पर विभाग तुरन्त हटाने हेतु सक्षम होगा ।
17. कार्मिक उपलब्ध कराने वाली फर्मध्संस्था के पास गृह विभाग राजस्थान सरकार से कार्मिक उपलब्ध कराने का लाईसेंस होना चाहियें
18. दिल्ली सी.आर.ओ द्वारा नियमानुसार सेवाकर का भुगतान संस्था/एजेन्सी को किया जायेगा तथा अगले माह के बिल के साथ सेवाकर जमा कराने का चालान प्रस्तुत करना होगा।
19. संस्था/एजेन्सी को भुगतान दिल्ली सी.आर.ओ. द्वारा चैक द्वारा किया जावेगा। तथा संस्था/एजेन्सी द्वारा भी पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक कार्मिक को बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।
20. अन्य शर्ते सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों एवं RTPP एक्ट 2012 व नियम 2013 तथा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार लागू होगी।
21. बोलीदाताओं की दरें समान पायी जाने पर अधिकतम टर्नओवर व अधिकतम अनुभव वाली फर्म की दरें स्वीकार करने में वरीयता दी जायेगी।

नोट-- निविदाऐं नियत तिथि 20.07.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक दिल्ली सी.आर.ओ. में प्राप्त की जा सकेगी व 20.07.2023 को सायं 2.00 बजे तक जमा करवायी जा सकेगी, दिनांक 20.07.2023 को सांय 4:00 बजे दिल्ली सी.आर.ओ. कार्यालय में खोली जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मोहर, नाम व पता, मोबाईल न.

निविदा एवं संविदा की शर्तें (ब)

CRO, New Delhi

राजस्थान सरकार वित्त (जी एस टी) विभाग के में राजस्थान लोक में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में दिशा–निर्देश निम्न प्रकार –

बोलीदाता निविदादाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा।

क्र. स.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आयकर (पेन नंबर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अनतर्गत				

एच शिड्यूल (वित्तीय बिड) के स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां संबंधित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5 व 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेगी)

1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित निविदादाता का होगा।

2) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगेपंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

3) यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

4) निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

5) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित निविदादाता का होगा।

6) श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संसी द्वारा निविदादाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

7) निविदादाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपन समस्त श्रमिकों का निमयमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता द्वारा आपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर निविदादाता के आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा

8) निविदादाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर निविदादाता का नाम, संविदा अवधि कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helping नम्बर एवं निविदादाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

9) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व निविदादाता का होगा।

10) निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगीनिविदादाता द्वारा

गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

11) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व निविदादाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमो, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामो/दायित्वों के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदाय होगा।

12) यदि निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी निविदादाता की होगीइसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम निर्याजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

14) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने ई.एस.आई. करवाने/ सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15) यदि निविदादाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में निविदादाता को Debar कराने की कार्यवाही करेगी

16) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, उसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगाउदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूम में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगमान निविदादाता को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिकों को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित निविदादाता का होगा ।

17) समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अध्यधीन अन्य आवश्यक शर्तो के साथ–साथ उक्तानुसार शर्तों को बोली दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना सुनिश्चित करे ताकि श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना की जा सके। उक्तानुसार शर्त संख्या (3) से (20) का समावेश सफल बोलीदाता/निविदादाता से किये जाने वाले अनुबंध में अनिवार्य रूप से किया जाए। इससे किसी भी प्रकार की उदासीनता को राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया जायेगा।

निविदा एवं संविदा की शर्तें (स)

ELIGIBILITY CRITERIA OF BIDDERS :-

S. No.	Eligibility Criteria	Documents Required to Substantiate the Same
1.	The bidder firm should be in existence at leastfor last five years excluding the current financial year (on or before 01.04.2017) & should be in business of providing supply of Manpower services.	a) Registration certification of the firm/ Partnership deed/ Certificate of incorporation, etc. b) Articles of Association & Memorandum of Association (if applicable) c) Income Tax Registration (PAN) d) GST Registration
2.	The bidder should be a company registered under companies Act, 1956 or a partnership firm registered under Indian Partnership Act, 1932 or a Proprietorship firm registered under the Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958/Amended or a similar Act of any other State/Union.	Registration certification of the Company/ firm/Partnership deed etc.
3.	Joint ventures or Consortiums are NOT allowed to bid or meet the eligibility criterion.	Self-declaration on letter head signed by Authorized Signatory of the bidder company / firm
4.	Bidder should neither be a black listed firm nor should its contracts have been terminated/foreclosed by any company / department during last 3 financial years ending 31.03.2021 and during current financial year till date of bid submission due to non-fulfillment of Contractual obligations.	Self-declaration on letter head signed by Authorized Signatory of the bidder company / firm
5.	The bidder should have the following registrations: a) Registration certificate and License Number under Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 b) Under Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. c) Under Employees' State Insurance Act, 1948. d) Registration under GST e) PAN Number	Self attested copy of the each document/certificate for (a) to (e), in the name of Bidder Firm
6.	Bidder should have the following experience of man-power supply *(i.e., the bidder firm should have the experience of providing manpower to the organization who has placed the work order)* of providing similar skilled manpower services in any Government / Semi-Government / Corporation / Board / Authority during last five financial year (2016-17 to 2020-21): a) At least one work for outsourcing of minimum 40 nos. manpower simultaneously for a minimum period of one year with annual contract amount ≥Rs. 50 lakh (excluding service tax/GST), or b) At least two works for outsourcing of minimum 25 nos. manpower simultaneously for a minimum period of one year with annual contract amount≥Rs. 30 lakh (excluding service tax/GST), or c) At least three works for outsourcing of minimum 20 nos. manpower simultaneously for a minimum period of one year with annual contract amount ≥Rs. 20 lakh (excluding GST)	Certificate(s)/ document(s) of satisfactory completion of the work(s) issued by the authorised signatory of the client clearly mentioning: 1. Period of the work 2. Number of manpower supplied 3. Amount paid for the work, and 4. Satisfactory completion of the work
7.	The firm's annual average turnover should not be lessthan Rs. 50 lakhs per year in any threefinancial years (i.e. 2016-17 to 2020-21).	o Audited Profit and Loss A/c, OR o Income Tax Returns (ITR) clearly showing the amount of turnover, OR o Certificate from a Chartered Accountant certifying the turnover.

Note :- All requisite documents submitted for eligibility criteria must be clearly legible and must clearly mention the information required.

Scanned with CamScanner

TECHNICAL CAPACITY OF BIDDER
EXPERIENCE OF PROVIDING MANPOWER SERVICES

Sr. No.	Name of Client	Name of Work and Date of Completion	Work order No. and date	Total volume of Entire Work (Rs)	Value of work completed in relevant years (year-wise) Rs.	Number of staff deployed per month	Remarks
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Note: Attach Documents as per Bid documents.

Date:

Place

Signature

Name

Seal of Authorized Signatory

Scanned with CamScanner

BIDDER'S PROFILE AND DOCUMENTS TO SUBSTANTIATE ELIGIBILITY OF THE BIDDER

Sr. No.	Technical Qualifications	Required Information / Certificate / License	Remark (Yes/No)
1.	Name of the Work		
2.	Name of Firm		
3.	Date when incorporated / registered		
4.	Profile of the Firm (Proprietor / Partnership / Private Limited / Public limited		
5.	Register Office Address		
6.	Functional/ Branch Office in Rajasthan (Address or Undertaking)		
7.	Name of Authorized Signatory		
8.	Mobile Number:		
9.	PAN Number	Attach self attested copy	
10.	GST Registration Certificate	Attach self attested copy	
11.	Registration of company / partnership firm / proprietorship firm	Attach self attested copy	
12.	Registration Certificate under ESI Act, 1948	Attach self attested copy	
13.	Registration Certificate under EPF Act, 1952	Attach self attested copy	
14.	License under Rajasthan Shops and Establishment Act	Attach self attested copy	
15.	Registration Certificate and license no. under Contract labor (Regulation and Abolition) Act	Attach self attested copy	
16.	Experience of Providing Manpower Services	Attach self attested copy	
17.	Annual Financial Turnover of last 3 years	Attach self attested copy	
18.	Audited balance Sheet of last three financial year	Attach self attested copy	
19.	Bidder should not be Joint venture / consortium	A self declaration on the letter head of company/firm	
20.	Earnest Money / Bid Security	As Per Rules.	
21.	Submission of Bidding Document Fee		

Date:

Place

Signature

Name

Seal of Authorized Signatory

Scanned with CamScanner

सी.आर.ओ., नई दिल्ली

'एच' शिड्यूल

(वित्तिय बिड)

क्रम सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	**EPF** प्रतिशत 13 प्रतिशत	**ESI** प्रतिशत 3.25 प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अकुशल श्रमिक	1						

निविदादाता द्वारा घोषणा

मै / हम .... घोषणा करते है कि इस हस निविदा प्रपत्र के भाग–अ के पृष्ठ संख्या .... अंकित सम्पूर्ण विवरण समस्त शर्तें एवं नियम पढ लिए हैं व समझ भी लिए जो मुझे / हमें पूर्ण रूप से मान्य है तथा कोई एतराज नही है। मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी / विवरण / उल्लेख में से किसी के भी असत्य पाए जाने पर मेरी निविदा किसी भी समय रद्द करने तथा उससे होने वाली समस्त हानि की वसूली का अधिकार तथा मेरे विरूद्ध कार्यवाही का अधिकार निगम को होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

Scanned with CamScanner

<u>शपथ पत्र</u>

(रू 100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर जिरा पर निविदादाता के हस्ताक्षर ओथ कमिश्नर अथवा नोटेरी से प्रमाणित होने आवश्यक है)

मैं .... (निविदादाता) पुत्र श्री .... जाति .... निवासी .... शपथपूर्वक यह सत्यापित करता हूँ :-

01. यह कि मैं किसी भी न्यायालय से आपराधिक प्रकरण में दण्डित नही हूँ।

02. यह है कि मेरे खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन/न्यायालय में कोई आपराधिक मामला नही चल रहा है।

03. यह है कि मुझे राज्य सरकार के किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग, किसी उपक्रम, राज. टयूरिज्म डवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 एवं इससे सम्बन्ध ईकाईयों द्वारा किसी भी अनियमितता के कारण दण्डित अथवा ब्लेक लिस्टेड नही किया गया है।

04. यह है कि मैंने/हमने निविदा की समस्त नियम व शर्तो को पढकर समझ ली है तथा मुझे/हमें समस्त शर्ते मान्य है तथा मैं/हम इन सभी नियम व शर्तो का पालन करने के लिए पूर्णतः सहमत है। यदि निविदा अवधि में किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावें।

(निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर)

(नोटेराइज्ड)

मूल शपथ पत्र को तकनीकी निविदा के साथ संलग्न अवश्य करें।

Scanned with CamScanner